न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोंक

(पीठासीन अधिकारीः रतनलाल योगी, आर.ए.एस.)

प्रकरण सं0 43/2019
प्रविष्ठि दिनांक–30.5.2019
निर्णय दिनांक–11.2.2020

उनवान

1. रामेश्वरी पुत्री लादू उर्फ लाद्या जाति जाट निवासी ग्राम डारडाहिन्द तहसील व जिला टोंक
2. ममता पुत्री लादू उर्फ लाद्या जाति जाट निवासी ग्राम डारडाहिन्द तहसील व जिला टोंक
3. सम्पत पुत्री लादू उर्फ लाद्या जाति जाट निवासी ग्राम डारडाहिन्द तहसील व जिला टोंक
4. जशोदा पुत्री लादू उर्फ लाद्या जाति जाट निवासी ग्राम डारडाहिन्द तहसील व जिला टोंक
5. राधा पुत्री लादू उर्फ लाद्या जाति जाट निवासी ग्राम डारडाहिन्द तहसील व जिला टोंक
6. रामप्यारी धर्मपत्नी लादू उर्फ लाद्या जाति जाट निवासी ग्राम डारडाहिन्द तहसील व जिला टोंक

–प्रार्थीगण

बनाम

1. रामसहाय पुत्र स्व0 श्योनारायण जाति जाट निवासी ग्राम डारडाहिन्द तहसील व जिला टोंक
2. लादू पुत्र स्व0 श्योनारायण जाति जाट निवासी ग्राम डारडाहिन्द तहसील व जिला टोंक
3. श्योजी पुत्र जगदीश जाति जाट निवासी ग्राम डारडाहिन्द तहसील व जिला टोंक
4. कान्ती पुत्री जगदीश जाति जाट निवासी ग्राम डारडाहिन्द तहसील व जिला टोंक
5. रामलाल पुत्र नाथू जाति जाट निवासी ग्राम डारडाहिन्द तहसील व जिला टोंक
6. राजा धर्मपत्नी नाथू जाति जाट निवासी ग्राम डारडाहिन्द तहसील व जिला टोंक
7. मथरा पुत्री नाथू जाति जाट निवासी ग्राम डारडाहिन्द तहसील व जिला टोंक
8. मनभर पुत्री नाथू जाति जाट निवासी ग्राम डारडाहिन्द तहसील व जिला टोंक
9. गुलाब पुत्री नाथ जाति जाट निवासी ग्राम डारडाहिन्द तहसील व जिला टोंक

–अप्रार्थीगण

उपस्थित–श्री जे0के0 जैन–अभिभाषक प्रार्थीगण
श्री दौलतराम चौधरी–अभिभाषक अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र रिसीवरी अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

आदेश

दिनांक 11.2.2020

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने एक प्रार्थनापत्र रिसीवरी अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट प्रस्तुत किया जिसमे अंकितानुसार प्रार्थीगण वादीगण ने न्यायालय हाजा के समक्ष वाद बाबत तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया था कि ख.न. 1335 रकबा 1 बीघाा, ख.न. 1336 रकबा 6 बिस्वा, ख.न. 1341 रकबा 16 बिस्वा, ख0न. 1353 रकबा 15 बिस्वा, ख.न. 1362 रकबा 15 बिस्वा, ख.न. 1364 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, ख.न. 1948 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, ख.न. 2309 रकबा 18 बिस्वा, ख.न. 2450 रकबा 1 बीघा, ख.न. 2461 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, ख.न. 2556 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा, ख.न. 2557 रकबा 2 बीघा, ख.न. 2569 रकबा 19 बिस्वा, ख.न. 2658 रकबा 11 बिस्वा, ख.न. 3289 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, ख.न. 3306 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा, ख.न. 3347 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा कुल किता– 18 कुल रकबा 25 बीघा 7 बिस्वा एवं भूमि ख.न. 2442 रकबा 3 बीघा , ख.न. 1338 रकबा 11 बिस्वा, ख.न. 1339 रकबा 15 बिस्वा, ख.न. 1340 रकबा 15 बिस्वा, ख.न. 1968 रकबा 15 बिस्वा, कुल

Scanned with CamScanner

किता– 4 कुल रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम डारडाहिन्द तहसील टोंक मे स्थित है। जिनका अंकन खाता सं0 क्रमशः 575, 574 507 वाके ग्राम डारडाहिन्द की जमाबंदी संवत 2071 से 2074 मे हो रखा है। तथा ख.न. 185/1 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा , ख.न. 202 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा, ख.न. 212/2 रकबा 5 बीघा कुल किता–3 कुल रकबा 8 बीघा 8 बिस्वा वाके ग्राम उस्मानपुरा आबाद पटवार मण्डल डारडाहिन्द मे स्थित है। जिसका अंकन खाता सं0 99 ग्राम उस्मानपुरा तहसील टोंक की जमाबंदी संवत 2073–2076 मे हो रखा है। खाता सं0 575 मे वर्णित आराजी मे प्रार्थीगण का 1/3 हिस्सा है एवं खाता सं0 574 व 507 मे वर्णित भूमि मे प्रार्थीगण का 1/6 हिस्सा है। खाता सं0 99 ग्राम उस्मानपुरा मे प्रार्थीगण का 1/3 हिस्सा है। उक्तानुसार प्रार्थीगण अपने अपने हिस्से अनुसार भूमि पर काबिज है। उक्त आराजी प्रार्थीगण को अपने पिता लादू उर्फ लादया से प्राप्त हुई है। उक्त आराजी से प्रतिपक्षीगण को दूर तक कोई संबंध नही है। परन्तु प्रार्थीगण महिलाएं होने के कारण प्रतिपक्षीगण आये दिन प्रार्थीगण को उनकी भूमि से फसल काश्त करने मे बाधा उत्पन्न करते है तथा प्रार्थीगण को बेदखल करने पर अमादा है। जिस पर प्रतिपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया गया था। लेकिन पाबन्द होने के बावजूद भी प्रतिपक्षीगण आये दिन लडाई झगडा करते रहते है तथा भूमि पर कब्जा करने की धमकी देते रहते है। प्रार्थी सं0 6 वृद्ध महिला है जिसकी 6 पुत्रिया है , कोई संतान नही होने के कारण प्रतिपक्षीगण एकजुट होकर लडाई व मारपीट करते है। प्रार्थीगण की फसल को जबरन अपने घर लेगये जिसकी रिपोर्ट प्रार्थीगण ने मेहन्दवास थाने मे भी करवाई। प्रार्थीगण के पिता ने कोई केसीसी नही ले रख है लेकिन प्रतिपक्षीगण धोके से केसीसी ले ली। प्रतिपक्षीगण के विरूद्ध न्यायालय अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट टोंक के यहा धारा 323, 341, 452, 354 आई पी सी के तहत मामला विचाराधीन है। प्रर्थीगण के पिता/पति ने व विपक्षी सं0 ने शामलाती एक ट्रेक्टर लिया था। जो लादू उर्फ लादया व श्योजी के नाम पंजीकृत है। प्रतिपक्षीगण पाबन्द होने के बावजूद भी न्यायालयो मे मामले विचाराधीन होने के बावजूद भी बोई हुई फसलो को नष्ट करते है। अतः उक्त भूमि मे वाद निर्णय तक तहसीलदार टोंक को रिसीवरी नियुक्त करने का आदेश प्रदान किया जावे।

प्रतिपक्षीगण 1, 3, 4 ने उक्त प्रार्थनापत्र का जवाब प्रस्तुत किया जिसमे अंकितानुसार प्रार्थीगण को धारा 212 के तहत राजस्थान टिनेन्सी एक्ट केतहत रिसीवरी का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने का अधिकार नही है। प्रार्थीगण ने प्रतिपक्षीगण को हैरान परेशान करने की नियत से यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। वादग्रस्त भूमि के संबंध मे न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश एकतरफा पारित किया गया था जिसकी प्रतिपक्षीगण को कोई जानकारी नही थी। प्रतिपक्षीगण ने किसी से लडाई झगडा नही किया प्रार्थनापत्र झूठे व मनगढन्त तथ्यों पर आधारित है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्रो पर थाना मेहन्दवास द्वारा एफ आर लगा दी गई है। बैंक से केसीसी भी स्वयं प्रार्थीगण ने ही प्राप्त की थी। वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी के रूप मे जमाबंदी मे अंकित है और संयुकत खातेदारी की भूमि पर रिसीवरी नियुक्त नही की जा सकती है। प्रतिपक्षीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि के सबंध मे स्थाई निषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत किया गया था जिसमे प्रार्थीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द कर दिया गया था। लेकिन प्रार्थीगण ने अपने जवाब मे विभाजन का अनुतोष नही चाहा है। उक्त भूमि मे प्रतिपक्षीगण के हित भी निहित है। अतः प्रार्थनापत्र खारिज किया जावे।

साक्ष्य दस्तावेज के रूप मे जमाबंदी संवत 2071–74 ग्राम डारडाहिन्द, 2073–2076 ग्राम उस्मानपुरा आबाद, नजरी नक्शा, पंचनामा, निर्णय स्थाई निषेधाज्ञा, आदि प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली है।

विद्वान वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई। बहस के दौरान दोनो पक्षो ने अपने अपने तथ्यो को दोहराया। बहस का पृथक से विवेचन नही किया जा रहा है।

अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा निम्न नजीरे प्रस्तुत की।

RBJ 2011 Page no 762
RBJ 2000 Page no 227
RBJ 1996 Page no 588
RBJ 1994 Page no 90
RRD 1997 Page no 147
RRD 2007 Page no 757

अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा निम्न नजीरे प्रस्तुत की।

Scanned with CamScanner

RRT 2013 Page no 687
RRT 2010 Page no 333
RRT 2004 Page no 391
RRT 2004 Page no 1299
RRT 2005 Page no 401

हमने प्रार्थनापत्र का अवलोकन किया एवं अभिभाषक पक्षकारान की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेजो का अध्ययन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमांबंदी ग्राम डारडाहिन्द व ग्राम उस्मानपुरा आबाद तहसील टोंक मे अंकितानुसार विवादित भूमि संयुक्त खातेदारी की प्रतीत होती है, जिसमे प्रार्थीगण के साथ साथ प्रतिपक्षीगण का भी हिस्सा है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थनापत्र मे यह स्पष्ट नही किया है कि न्यायालय हाजा मे विचाराधीन विभाजन का वाद कब प्रस्तुत किया , किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है वाद की कम संख्या व वर्ष भी अंकित नही है जिससे के प्रार्थीगण द्वारा अंकित किये गये कथन की पुष्टि होती हो। साथ ही पत्रावली पर अस्थाई निषेधाज्ञा का निर्णय की प्रति भी उपलब्ध नही है। इस प्रकार प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थनापत्र मे अंकित किये गये तथ्यों को किसी भी साक्ष्य से साबित नही कर पाये है। अपितु प्रतिपक्षीगण द्वारा प्रस्तुत निर्णय की प्रति से प्रार्थीगण का स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द होना साबित है। प्रार्थीगण द्वारा मात्र मौखिक तथ्य ही अंकित किये गये है। चूंकि वर्तमान मे भूमि संयुक्त खातदारी की है और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार संयुक्त खातेदारी की भूमि पर प्रत्येक काश्तकार या सहकृषक का भूमि के प्रत्येक इंच पर कब्जा माना जाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट नही है कि प्रार्थीगण का विवादित भूमि के किस हिस्से पर कब्जाकाश्त है। रिसीवरी नियुक्त करने के लिए पक्षकारो का निश्चित स्थान पर कब्जा होना आवश्यंक है। चूंकि विवादित भूमि पर प्रार्थीगण व प्रतिपक्षीगण दोनो का ही हक निहित है लेकिन भूमि शामलाती होने के कारण सीमा निर्धारित नही है। बिना निश्चित सीमा के भूमि पर रिसीवरी नियुक्त नही की जा सकती है। प्रार्थीगण को विवादो के निपटान के लिए विधिवत विभाजन का वाद न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए। प्रार्थीगण द्वारा तथाकथित राजीनामा भी पत्रावली पर उपलब्ध नही है। बहस के दौरान प्रतिवादी सं0 5, 7 8, 9 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने रिसीवरी नियुक्त किये जाने पर सहमति दर्शाई गई है जबकि उनके कब्जे बाबत भी कोई साक्ष्य नही है। प्रार्थीगण ने अपना प्रार्थनापत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के तहत प्रस्तुत किया गया है लेकिन प्रार्थनपत्र एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों से यह साबित नही हो रहा है कि प्रतिपक्षीगण द्वारा किस प्रकार न्यायालय के आदेशो या न्यायालय कार्यवाही मे बाधा पहुचाई जा रही है। क्योकि प्रतिपक्षीगण ने पूर्व मे ही प्रार्थीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया हुआ है। न्यायालय की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। प्राथीगण ने अपने कथनो की पुष्टि मे अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय तथा विधिवत विभाजन हेतु वाद प्रस्तुत करने के संबंध मे साक्ष्य प्रस्तुत नही किये गये है। उक्त अधिनियम के तहत भूमि को नुकसान पहुचाने ,हस्तान्तरित किये जाने तथा नष्ट किये जाने के भय को समाप्त करने के भय को दूर करने के लिए रिसीवरी नियुक्त की जा सकती है। लेकिन प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत किये गये किसी भी साक्ष्य से उक्त प्रावधान मे चाही गई शर्तो की पूर्ति नही हो रही है। अपितु प्रकरण मे तो ही अप्रार्थीगण ही पीडित पक्ष नजर आ रहा है। रिसीवरी का आदेश एक कडा कदम है जिसे जारी करने के लिए सभी शर्तो की पूर्ति के लिए परिस्थितियो का होना आवश्यक है। पत्रावली पर उपलब्ध न्यायालय के निर्णय अनुसार तो प्रार्थीगण स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द है और यह रिसीवरी का प्रार्थनापत्र अप्रार्थीगण द्वारा लाया जाना चाहिए था। उक्त अधिनियम की धारा 212 के अनुसार न्यायालय के आदेशो की उदेश्यो की विफलता के स्वरूप सम्पत्ति को हस्तान्तरित या व्ययन करने के खतरे के दौरान रिसीवरी दिया जाना उचित होगा अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजीरे प्रकरण पर पूर्ण रूप से चस्पा होती है। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत सभी नजीरो मे दिये गये निर्णय कब्जा साबित होने की स्थिति मे दिये गये है। चूंकि प्रार्थीगण ने विवादित भूमि पर अपना कब्जा व क्या फसल काश्त की गई है इस बाबत कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किये गये है। अतः अधिवक्ता प्रार्थीगण की नजीरे प्रकरण पर चस्पा नही होती है। यदि इस प्रकार मनगढन्त तथ्यो के आधार पर विवादित भूमि पर रिसीवरी दी जाती है तो प्रतिपक्षीगण के प्रति न्याय नही होगा। प्राथीगण को चाहिए कि विवादो के स्थाई समाधान के लिए विधिवत विभाजन हेतु सक्षम न्यायालय मे वाद प्रस्तुत कर

Scanned with CamScanner

राहत प्राप्त करे। अतः न्यायालय प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार करना उचित नही समझता है।

आदेश

फलतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र रिसीवरी अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत ख.न. 1335, 1336, 1341, 1351, 1353, 1362, 1364, 1948, 2309, 2450, 2461, 2556, 2557, 2658, 3289, 3306, कुल किता–18 कुल रकबा 25 बीघा 7 बिस्वा, ख.न. 2442, 1338, 1339, 1340, 1968 ग्राम डारडाहिन्द, ख.न. 185/1, 202, 212/1 कुल किता–3 कुल रकबा 8 बीघा 8 बिस्वा ग्राम उस्मानपुरा आबाद, तहसील टोंक साक्ष्य दस्तावेज के अभाव मे विधि सम्मत नही होने के कारण खारिज किया जाता है। प्रार्थनापत्र फैसलशुमार होकर नंबर से कम होवे।

निर्णय आज **दिनांक 11.2.2020** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(रतन लाल योगी)
उपखण्ड अधिकारी, टोंक

Scanned with CamScanner